

XII

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 465]

नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 6, 2000/भाद्र 15, 1922

No. 465]

NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 6, 2000/BHADRA 15, 1922

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 सितम्बर, 2000

सा.का.नि. 708 (अ).—केन्द्रीय सरकार, रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) की धारा 200 की उपधारा (2) के खंड (क) के साथ पठित धारा 60 की उपधारा (2) के खंड (ख) और धारा 198 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रेल (चालित लाइन) साधारण नियम, 1976 का और संशोधन करने के लिए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय रेल (चालित लाइन) साधारण (दूसरा संशोधन) नियम, 2000 है।
- (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. भारतीय रेल (चालित लाइन) साधारण नियम, 1976, के अध्याय 3 के नियम 3.38 में:—

- (1) उपखंड (क), (ख) और (ग) के उपबंधों को उपनियम (1) के रूप में संख्यांकित किया जाएगा:
- (2) उप नियम (1) के इस प्रकार संख्यांकन के पश्चात् निम्नलिखित उप नियम अंतः स्थापित किया जाएगा अर्थात्:—

“(2) जब भी स्थिर लोड, माल डिब्बे, यान द्वारा या ऐसी गाड़ी से, जो किसी दूसरी गाड़ी को ब्रॉका करने या आगे जाने देने के लिए अथवा स्टेशन पर गाड़ी के आने के तत्काल बाद रनिंग लाइन पर अवरोध उत्पन्न होता है, तो दोहरी लाह. संकेतों के पीछे की ओर तथा इकहरी लाइन संकेतों पर दोनों ओर के कॉर्टों को अवरुद्ध लाइन के विरुद्ध तुरन्त सैट कर दिया जाएगा, लेकिन उस स्थिति को छोड़कर जब उस लाइन पर तत्काल उस दिशा में हॉटिंग या अन्य संचालन की आवश्यकता हो”।

[सं. 99/सेप्टी(ए एंड आर)/19/6]

शांति नारायण, सदस्य यतायात और पदेन सचिव

टिप्पणी : मूल नियम दिनांक 21 जुलाई, 1981 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 445 (अ) के अंतर्गत प्रकाशित किए गए थे तथा निम्नलिखित अधिसूचनाओं द्वारा संशोधित किए गए थे :—

- (1) सा.का.नि. 320, दिनांक 16 अप्रैल, 1983
- (2) सा.का.नि. 352, दिनांक 30 अप्रैल, 1983
- (3) सा.का.नि. 514(अ), दिनांक 27 जून, 1983
- (4) सा.का.नि. 476(अ), दिनांक 28 जून, 1984
- (5) सा.का.नि. 245, दिनांक 23 मई, 1992
- (6) सा.का.नि. 83, दिनांक 17 फरवरी, 1996
- (7) सा.का.नि. 101, दिनांक 23 मई, 1998
- (8) सा.का.नि. 47, दिनांक 13 फरवरी, 1999
- (9) सा.का.नि. 213(अ), दिनांक 18 मार्च, 1999, और
- (10) सा.का.नि. 283(अ), दिनांक 26 अप्रैल, 1999
- (11) सा.का.नि. 581(अ), दिनांक 03 जुलाई, 2000

MINISTRY OF RAILWAYS

(Railway Board)

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th September, 2000

GSR 708(E).—In exercise of the powers conferred by clause (g) of Sub-section (2) of section 60 and section 198 read with clause (a) of Sub-section (2) of section 200 of the Railways Act, 1989 (24 of 1989), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Indian Railways (Open Lines) General Rules, 1976, namely:—

1. (1) These rules may be called the Indian Railways (Open Lines) General (Second Amendment) Rules, 2000.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Indian Railways (Open Lines) General Rules, 1976, in Chapter III, in rule 3.38 :—
(i) the provision consisting of clauses (a), (b) and (c) shall be numbered as sub-rule (1) ;
(ii) after sub-rule (1) so numbered, the following sub-rule shall be inserted, namely :—

"(2) When a running line is blocked by a stabled load, wagon, vehicle or by a train which is to cross or give precedence to another train or immediately after the arrival of a train at the station the points in rear on double line sections and at either end on single line sections should be immediately set against the blocked line except when shunting or any other movement is required to be done immediately in that direction on that line."

[No. 99/Safety (A&R)/19/6]

SHANTI NARAIN, Member Traffic and Ex-Officio Secy.

Note:—The principal rules were published vide notification number GSR 445(E), dated the 21st July, 1981 and subsequently amended Notification number :—

- (1) GSR 320, dated the 16th, April, 1983,
- (2) GSR 352, dated the 30th April, 1983,
- (3) GSR 514(E), dated the 27th June, 1983,
- (4) GSR 476(E), dated the 28th June, 1984,
- (5) GSR 245, dated the 23rd May, 1992,
- (6) GSR 83, dated the 17th February, 1996,
- (7) GSR 101, dated the 23rd May, 1998,
- (8) GSR 47, dated the 13th February, 1999,
- (9) GSR 213(E), dated the 18th March, 1999,
- (10) GSR 283(E), dated the 26th April, 1999, and
- (11) GSR 581(E), dated the 3rd July, 2000.